भारतीय खेल प्राधिकरण
SPORTS AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / **GOVERNMENT OF INDIA**
खेल विभाग / **DEPARTMENT OF SPORTS**
(An Autonomous Body under Ministry of Youth Affairs and Sports)
(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय)
(मानव संसाधन प्रभाग - II)
(Human Resources Division - II)

ईस्ट गेट संख्या 10, जे.एन. स्टेडियम परिसर,
लोधी रोड, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003
East Gate No. 10, J.N. Stadium Complex,
Lodhi Road, CGO Complex, New Delhi – 110003

फ़ाइल संख्या: 01-04001(03)/7/2025-HO/619 – Recruitment Cell **दिनांक: 09-09-2026**
F. No. 01-04001(03)/7/2025-HO/619 – Recruitment Cell **Date: 09-09-2026**

अधिसूचना
NOTIFICATION

भारतीय खेल प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है - खेल उत्कृष्टता के लिए भारत की खोज का हिस्सा बनने का अवसर।
Recruitment to the post of Section Officer On Deputation Basis – An opportunity to be part of India's quest for Sporting Excellence

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) प्रतिनियुक्ति के आधार पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-07 में अनुभाग अधिकारी के पद पर 03 वर्ष की अवधि के लिए, निर्धारित पात्रता शर्तों एवं प्रतिनियुक्ति के निबंधन व शर्तों की पूर्ति के अधीन, नियुक्ति हेतु पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

The Sports Authority of India (SAI) invites applications from eligible and willing officers for appointment to the post of SECTION OFFICER in Pay Level-07 of the 7th CPC on deputation basis for a period of 03 years, subject to fulfilment of the prescribed eligibility conditions and terms & conditions of deputation.

2. भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के बारे में / About Sports Authority of India (SAI)

भारतीय खेल प्राधिकरण युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है, जिसका उद्देश्य देश में खेलों के विकास और संवर्धन का है। SAI का मुख्य उद्देश्य आज खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित एवं तैयार करना है। इसके पास अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित कोचों के साथ-साथ देश भर में फैले अंतरराष्ट्रीय मानक खेल बुनियादी ढांचे हैं। प्राधिकरण को भारत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है।

SAI is an autonomous organization under the Ministry of Youth Affairs & Sports (MYAS) registered under the Societies Registration Act, 1860, with the mandate of development and promotion of Sports in the country. SAI's main object today is to achieve excellence in sports and train & prepare sports persons to participate in international competitions. It has international standard sports infrastructure spread across the country along with trained coaches to achieve its objective. The Authority is substantially funded by the Government of India.

3. कार्य का स्वरूप – अनुभाग अधिकारी / Nature of Work – Section Officer

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) में अनुभाग अधिकारी को संबंधित अनुभाग के कार्यों के प्रभावी एवं सुचारु संचालन हेतु पर्यवेक्षण एवं समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वे अनुभाग से संबंधित मामलों के निपटान, फाइलों के परीक्षण, नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन तथा समयबद्ध निर्णय-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुभाग अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं तथा कार्यों के कुशल निष्पादन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे विभिन्न विभागों/अनुभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने, वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक तथ्यात्मक जानकारी एवं सुझाव उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक एवं नीतिगत मामलों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त, वे कार्यालयीन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

The Section Officer in the Sports Authority of India (SAI) is entrusted with the responsibility of supervising and coordinating the effective functioning of the concerned section. He/She plays a key role in processing and disposal of cases, examination of files, ensuring compliance with applicable rules and procedures, and facilitating timely decision-making. The Section Officer supervises the work of subordinate staff and provides necessary guidance for efficient execution of assigned tasks. He/She is responsible for maintaining effective coordination with various departments/sections, providing necessary inputs and assistance to senior officers, and supporting the implementation of administrative and policy-related matters. The Section Officer also plays an important role in ensuring transparency, efficiency, and accountability in office procedures and in carrying out functions in alignment with the objectives of the organization.

3.1 अनुभाग अधिकारी के लिए पात्रता मानदंड / Eligibility Criteria for Section Officer

तालिका – I / Table – I

पद का नाम Name of the post	अनुभाग अधिकारी **Section Officer**
पदों की संख्या No. of Post	**20** (संभावित/Tentative)
आयु सीमा Age limits	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की प्रारंभिक तिथि के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the opening date of receipt of application.
आवश्यक योग्यता Eligibility Criteria	केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन (उनके संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों सहित) में कार्यरत अधिकारी, जो निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करते हों:— i. मूल संवर्ग/विभाग में स्तर-07 या समकक्ष पद पर कार्यरत हों; अथवा ii. वेतन मैट्रिक्स स्तर-06 (₹35,400 – 1,12,400) में नियमित नियुक्ति के पश्चात कम से कम 5 वर्षों की सेवा की हो। Officers working under the Central Government / State Government / Union Territory Administrations (including their attached or subordinate offices) holding:- i. Analogous post as Section Officer in Level-07 or equivalent in parent cadre/department; OR ii. Officers with at least 5 years regular service in Pay Matrix Level-06 (₹35,400 – ₹1,12,400) after regular appointment.
वेतन मैट्रिक्स स्तर (7वां सीपीसी) Pay Matrix Level (7th CPC)	Level-07/ स्तर-07 (Pay Band 44900-142400)
अनुबंध की अवधि Term of engagement	03 वर्ष की अवधि के लिए । For a period of 03 Years.

Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

4. SAI में प्रतिनियुक्ति, समय-समय पर संशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoP&T) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 06/08/2009-Estt (Pay-II) दिनांक 17/06/2010 के अनुसार प्रतिनियुक्ति के मानक नियमों एवं शर्तों के अनुरूप होगी। प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की प्रारंभिक तिथि के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

The deputation to SAI would be as per standard Terms and Conditions on deputation as notified by DoP&T vide OM no. 06/08/2009 Estt (Pay-II) dated 17/06/2010 as amended time to time. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the opening date of receipt of application.

5. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। चयन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा।

The candidates fulfilling the eligibility criteria will be called for interview. The selection will be made on the basis of merit list prepared by the Selection Committee by the Competent Authority.

6. **आवेदन कैसे करें / HOW TO APPLY**

सभी पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी अपने आवेदन समुचित माध्यम (proper channel) से प्रस्तुत करें अथवा परिशिष्ट-I में दिए गए प्रारूप में अग्रिम प्रति (advance copy) भेज सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अनुसंधान आदि के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी आवेदन का प्रारूप SAI की वेबसाइट अर्थात www.sportsauthorityofindia.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ आवेदन (दो प्रतियों में), अधिकारियों के पिछले पांच वर्षों के पूर्ण गोपनीय प्रतिवेदन/एपीएआर (Confidential Reports/APARs) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सतर्कता स्वीकृति प्रमाण-पत्र (Vigilance Clearance) सहित, समुचित माध्यम/कैडर नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से निम्नलिखित पते पर दिनांक **08/10/2026** को सायं 05:00 बजे तक प्रेषित किया जाना चाहिए:

Candidates satisfying all the conditions of eligibility shall submit their applications through proper channel or may send an advance copy in the format given in Annexure-I. The copy of the certificates in proof of age, qualifications, experience, research etc. must be enclosed along with the application form. The candidates can also download the application format from the website of SAI i.e. www.sportsauthorityofindia.nic.in. The application (in duplicate) in the prescribed proforma along with complete Confidential Reports/APARs of the last five years of the officers and a certificate of Vigilance Clearance from their Competent Authority must be sent through proper channel / Cadre Controlling Authority to the O/o the Director (Human Resources Division-II), Room No. 211, Sports Authority of India, Head Office, Gate No.10 (East Gate), Jawaharlal Nehru Stadium, Lodhi Road, New Delhi-110003 on or before **08/10/2026** at 05.00 PM.

निदेशक (मानव संसाधन प्रभाग-II) का कार्यालय, कक्ष संख्या 211, भारतीय खेल प्राधिकरण, मुख्यालय, गेट संख्या 10 (पूर्वी द्वार), जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003.
Office of the Director (Human Resources Division-II), Room No. 211, Sports Authority of India, Head Office, Gate No.10 (East Gate), Jawaharlal Nehru Stadium, Lodhi Road, New Delhi-110003.
टिप्पणी: अभ्यर्थी आवेदन की अग्रिम प्रति प्रेषित कर सकते हैं। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर तभी विचार किया जाएगा, जब उनका आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित समुचित माध्यम से अंतिम चयन से पूर्व प्राप्त हो जाएगा।

Note:- Candidates may send an advance copy of the application. However, the candidature of such candidates shall be considered only if their application is received through proper channel along with requisite documents before the final selection.

6.1 किसी भी विवाद की स्थिति में, अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण वैध माना जाएगा।
In case of any dispute, English version of the notification will be treated as valid.
आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

LIST OF ENCLOSURES TO BE ACCOMPANIED WITH THE APPLICATION

i. निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन पत्र – परिशिष्ट-I, जो उम्मीदवार द्वारा पूर्णतया भरा और हस्ताक्षरित हो तथा कैडर/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मोहर सहित सह-हस्ताक्षरित हो।
i. Application in prescribed format – Annexure-I duly completed and signed by the candidate and countersigned with seal by the Cadre / Appointing Authority.
ii. पिछले 5 (पांच) वर्षों के ACRs/APARs की सत्यापित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर भारत सरकार के अवर सचिव या उससे उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा मुहर लगाकर सत्यापित हो।
ii. Attested copies of ACRs/APARs for the last 5 (Five) years duly attested on each page with seal by an officer with the rank of Under Secretary to the Government of India or above.
iii. अखंडता प्रमाणपत्र।
iii. Integrity Certificate.
iv. सतर्कता स्वीकृति प्रमाणपत्र।

iv. Vigilance Clearance.
v. पिछले 5 वर्षों में किसी भी प्रकार की प्रमुख या गौण दंडात्मक कार्रवाई न होने का प्रमाणपत्र।
v. No Major or Minor penalty certificate for the last 5 years of his/her service.
vi. एक प्रमाणपत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी सेवा अभिलेखों के अनुसार सत्यापित की गई है और सही पाई गई है।
vi. A certificate to the effect that the particulars furnished by the candidate have been verified and found correct as per service records.
vii. कैडर क्लियरेंस प्रमाणपत्र।
vii. Cadre Clearance Certificate.

Jayanti
9/9/26

Assistant Director (Human Resources Division - II)
भारतीय खेल प्राधिकरण / SAI, Head Office

जयंती रंगा / Jayanti Ranga
सहायक निदेशक / Assistant Director
भारतीय खेल प्राधिकरण / Sports Authority of India
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर (पूर्वी द्वार)
Jawaharlal Nehru Stadium Complex (East Gate)
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 / Lodhi Road, New Delhi-110003